



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112022-240237
CG-DL-E-14112022-240237

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5026]
No. 5026]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

का.आ. 5245(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के तहत जारी पूर्व भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क विंग) के का.आ. 1035 (अ) दिनांक 07.05.2010 और का. आ. 1291 (अ) दिनांक 11.11.2003 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (नया एनएच -66) के किमी 283.300 से किमी 358.080, किमी 375.300 से किमी 376.700, किमी 3.700 से किमी 17.200 और किमी 358.80 से किमी 375.300 (कुंडापुर-सूरथकल-मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा खंड और सूरथकल से नानतूर खंड) के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, दिनांक 09.03.2010 को मैसर्स नवयुग उडुपी टोलवे प्राइवेट लिमिटेड - जिसका पंजीकृत कार्यालय 1259, लक्ष्मी टावर्स, रोड नंबर 36, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, आंध्र प्रदेश, भारत में है (जिसे इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' कहा जाए), के साथ एनएच-66 (पूर्व में एनएच-17) के कुंडापुर-सूरथकल खंड को किमी.283.300 से किमी.358.080 तक, नानतूर-महावीर खंड को किमी.375.300 किमी.376.700 और महावीर सर्कल से तलपडी खंड को किमी.3.700 से किमी.17.200 तक डीबीएफआटी (टोल) पैटर्न पर 4/6 लेन का बनाने के लिए करार किया है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के आधार पर जीएसआर 838 (ई) दिनांक

5 दिसंबर, 2008 के तहत प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 623 (अ) दिनांक 12.03.2013 के तहत प्रयोक्ता शुल्क एकत्र करने और बनाए रखने के लिए रियायतग्राही को प्राधिकृत किया है।

अब, हेजामडी टोल प्लाजा @ 347.180 पर नानतूर से पाडिल (कुल लंबाई 18.362 किमी) की ओर 4-लेन सुरथकल नानतूर खंड और 1.60 किमी बाईपास लंबाई के लिए प्रयोक्ता शुल्क एकत्र करने के लिए रियायतग्राही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 (नया राजमार्ग संख्या 66) (सुरथकल नानतूर खंड) के किमी 358.000 से किमी 375.300 तक और नानतूर से पाडिल की ओर 1.60 किमी के बाईपास के उपयोग के लिए अतिरिक्त प्रयोक्ता शुल्क एकत्र करेगा। अतिरिक्त शुल्क का भुगतान एकायरर बैंक/रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को किया जाएगा और प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच सहमत शर्तों के अनुसार प्राधिकरण रियायतग्राही को संग्रहण शुल्क का भुगतान करेगा।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियम' संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित तथा समय-समय पर संशोधित समय (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और का आ 1849 (अ) दिनांक 25.06.2013 के तहत प्रकाशित पूर्व शुल्क अधिसूचना का अधिक्रमण करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 के (सुरथकल-नंतूर खंड) और नंतूर से पाडिल की ओर 1.60 किलोमीटर बाईपास लंबाई के किलोमीटर 358.000 से किलोमीटर 375.300 तक सड़क खंड की निवल लंबाई 14.412 किमी और 29.250 किमी (जिनकी लंबाई 2.925 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट 100 % की दर से तथा बाईपास जिनकी सड़क लंबाई 1.025 किमी तथा लागत 10 करोड़ रु या अधिक है, चार अथवा अधिक लेन के उपयोग हेतु आधार दर के डेढ़ गुना की दर से सारणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर शुल्क उद्धृति करती है और उक्त रियायतग्राही को इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने से और प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही से अतिरिक्त टोल वसूली के लिए इस व्यवस्था को वापस लेने तक प्राधिकृत करती है। तत्पश्चात, प्राधिकरण उक्त शुल्क को या तो अपने अधिकारियों के माध्यम से या एक ठेकेदार के माध्यम से एकत्र कर सकता है, अर्थात्

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए सारणी निवल सड़क लंबाई पर शोध और संदेय होगा:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनज)	लंबाई (कि.मी. मे) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क संदेय है

एनएच-17(नया एनएच-66) (उडुपी जिले के गांव हेजामडी के पास) के किमी 347.180 पर	14.412 [बाईसपास की लंबाई (लागत 10 करोड़ से अधिक) तथा बुनियादी ढांचे की लंबाई (60 मी. से अधिक) को छोड़ कर]	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
---	--	--

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए	मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
एनएच -17 (नया एनएच-66) (उडुपी जिले के गांव हेजामडी के पास) के किमी 347.180 पर	नानतूर से पाडिल	0.00	1.6	1.025 (संरचना की लंबाई को छोड़कर)	> 10 करोड़	ऊपर सारणी-1 में आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी-4			
शुल्क प्लाजा का स्थान (डिजाइन चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
एनएच -17 (नया एनएच-66) (उडुपी जिले के गांव हेजामडी के पास) के किमी 347.180 पर	2.9250*	29.250	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* (60 मी. से अधिक लंबाई) की संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है:

सारणी- 5			
शुल्क प्लाजा का स्थान (डिजाइन चैनेज)	चैनेज सहित पुलों / संरचनाओं का नाम	लंबाई (किमी में) और पुलों / संरचनाओं की लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
		लंबाई (किमी में)	

एनएच-17 (नया एनएच-66) पर किमी 347.180 पर	(फ्लाईओवर चैनेज 360.425)	0.750	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	(फ्लाईओवर चैनेज 368.775)	0.525	
	(फ्लाईओवर चैनेज 370.300)	0.625	
	(फ्लाईओवर चैनेज 371.950)	0.450	
	(फ्लाईओवर चैनेज 742.835)	0.575	

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी -6		
संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 पर आधारित अधिसूचना संख्या का आ 623 (अ) दिनांक 12.03.2013 के तहत ओवरलोडिंग शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 315.82 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचआई/13013/सीओ/2022-23/सूरथकलशुल्कअधिसूचना(भाग)]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

S.O. 5245(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 1035 (E) dated 07.05.2010 and S.O. 1291(E) dated 11.11.2003, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretch from km 283.300 to 358.080, Km 375.300 to 376.700, Km 3.700 to 17.200 and Km 358.080 to 375.300 (Kundapur-Surathkal-Mangalore-Karnataka/Kerala Border Section and Surathkal to Nantoor Section) of National Highway no. 17 (New NH-66) in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, pursuant to the provisions of section-14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 09.03.2010 with M/s Navayuga Udupi Tollway Pvt Ltd having its registered office at 1259, Lakshmi Towers, Road No. 36, Jubilee Hills, Hyderabad-500033, Andhra Pradesh, India (hereinafter referred to as the “Concessionaire”), for 4/6 laning of Kundapur-Surathkal Section from Km.283.300 to Km.358.080, Nantoor – Mahaveer section from Km.375.300 Km.376.700 and Mahaveer Circle to Talapady Section from Km.3.700 to Km.17.200 of NH-66 (formerly NH-17) on DBFOT (Toll) Pattern and vide notification no. S.O. 623(E) dated 12.03.2013 based on National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008, has authorized the Concessionaire to collect and retain the user fee.

Now, in order to collect user fee for 4-lane Surathkal Nantoor section and 1.60 Km of bypass length from Nantoor towards Padil (total length 18.362 km) at Hejamadi toll plaza @ 347.180, the Concessionaire shall collect additional user fee for the use of said section from Km 358.000 to Km 375.300 of National Highway No. 17 (New Highway No.66) (Surathkal Nantoor section) and 1.60 Km of bypass length from Nantoor towards Padil. The additional fee shall be paid by Acquirer Bank/Concessionaire to the Authority and Authority shall pay collection charges to concessionaire as per as the agreed terms between the Authority and Concessionaire.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”) and in supersession to the earlier Fee Notification published vide No. S.O. 1849(E) dated 25.06.2013, the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 14.412 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 29.250 km (having structure length 2.925 km) and at one and one half times the base rate for bypass having road length of 1.025 km costing Rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four and more lane section from kilometer 358.000 to kilometre 375.300 of National Highway No. 17 (Surathkal-Nantoor section) and 1.60 Km of bypass length from Nantoor towards Padil and authorizes the said Concessionaire w.e.f. publication of this notification in the Official Gazette and till the Authority withdraws this arrangement for collection of additional toll from Concessionaire. Thereafter, the Authority may collect the said fee, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely

Table-1	
Type of Vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05

Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three axle commercial vehicle	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza:

Table -2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
Km 347.180 on NH-17(New NH-66) (near village Hejamadi in Udupi District).	14.412 [Excluding length of Bypass (Costing >10 Cr.) and length of Structure (>60m)]	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off at Km	Merging at Km	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
Km 347.180 on NH-17(New NH-66) (near village Hejamadi in Udupi District).	Nantoor to Padil	0.00	1.6	1.025 (excluding structure length)	> 10 cr	150% of the base rates mentioned in Table 1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following toll plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Table-4			
Location of Toll Plaza (Design chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
Km 347.180 on NH-17(New NH-66) (near village Hejamadi in Udupi District).	2.9250*	29.250	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

* The details of structures (> 60m length) are as under:

Table-5			
Location of Toll Plaza (Ch)	Name of Bridges / Structures with Chainage	Length (in km) and Cost of Bridges / Structures for which additional fee is payable	Rate at which fee is payable
		Length (in Km)	
	(Flyover Ch.360.425)	0.750	100% of the base rates

At Km 347.180 on NH-17 (New NH-66)	(Flyover Ch.368.775)	0.525	mentioned in Table 1 above
	(Flyover Ch.370.300)	0.625	
	(Flyover Ch.371.950)	0.450	
	(Flyover Ch.742.835)	0.575	

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 315.00 (Rupees Three Hundred fifteen only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table -6		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, in line with the overloading charges applicable under the notification no. S.O. 623(E) dated 12.03.2013 based on National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.

10. The capital cost of the project is Rs. 315.82 Cr. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/2022-23/SurathkalFeeNotification(Part)]

MEHMOOD AHMED, Jt. Secy.